

# पाँचवीं कक्षा के बाद अध्ययन के अवसर

**3.1. शिक्षक एवं अभिभावक हेतु मार्गदर्शन :-** प्रत्येक माता पिता या अभिभावक अपनी संतान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाते हुये उसे एक सफल व संस्कारवान नागरिक बनाना चाहते हैं। वे बच्चों की प्रारम्भिक पढ़ाई अपने सानिध्य में रखते हुए उसके शारीरिक-मानसिक विकास पर ध्यान देते हुये अपने निवास स्थान के नजदीक स्थित अच्छे शिक्षण संस्थान से करवाते हैं परन्तु कक्षा 5वीं की पढ़ाई के बाद वे उसे किसी ऐसी शिक्षण संस्था में प्रवेश दिलवाने का प्रयास करते हैं जहाँ बालक सैद्धान्तिक व व्यवहारिक गुणात्मक शिक्षा के साथ सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हुये अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा स्वावलम्बी बनकर भविष्य में सरकारी सेवा, निजी व्यवसाय, प्राइवेट नौकरी खेती आदि करते हुए अच्छा नागरिक बनकर आनंदमय एवं खुशहाल जीवन जी सके। कक्षा पाँचवीं के बाद विद्यार्थी को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलवाने के कई अवसर मौजूद हैं जिन अवसरों का फायदा उठाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को उन विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर उनका भविष्य सुनहरा बनाया जा सकता है इस सम्बंध में कुछ संस्थाओं एवं उनके सम्बंध में मार्गदर्शन इस प्रकार है :-

1. 5वीं के बाद बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, विवेकानन्द मॉडल स्कूल, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), स्पोर्ट्स स्कूल, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्यायालय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, घुमन्तु पशुपालकों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि शिक्षण संस्थान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हैं जिनमें से अधिकतर में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समस्त खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है या साधारण खर्च पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन संस्थाओं में दी जाती है।
2. प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पाँचवीं एवं आठवीं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को इन विशिष्ट विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में प्रविष्ट होकर अपना भाग्य अजमाने या जिन विद्यालयों में प्रवेश केवल पूर्व कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होता है उन विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन भरवाकर उसके माता-पिता एवं बच्चे को प्रोत्साहित करें। प्रवेश परीक्षा हेतु जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिये उचित गाईड एवं अन्य पुस्तकों की व्यवस्था, स्वयं या विषय विशेषज्ञ अध्यापक से मार्गदर्शन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को कोचिंग करवाकर प्रवेश परीक्षा पास करने में मार्गदर्शन एवं सहायता करें। चाहे सफलता मिले या नहीं मिले लेकिन परीक्षा दिलवानी चाहिए जिससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है।
3. शिक्षकगण भी अपने विद्यालय में अध्ययनरत गरीब, पिछड़े लेकिन प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया (प्रवेश परीक्षा या मेरिट) के जरिये प्रवेश दिलाकर उस प्रतिभा के सुनहरे सपनों को साकार करने में सहभागी बनकर अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ उस परिवार के लिये देवदूत बनकर असीम पुण्य कमा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक वर्ष में कम में कम ऐसे एक प्रतिभावान विद्यार्थी को मार्गदर्शन करने का प्रण करले तो गरीब एवं पिछड़े परिवार की प्रतिभाओं का कल्याण होगा। यह हकीकत है कि अभी तक इन संस्थाओं में अधिकतर सक्षम परिवारों के बच्चे ही पढ़ रहे हैं इसलिए यह बहुत बड़ा बदलाव शिक्षकगण द्वारा लाया जा सकता है।

**“कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।”**

4. माता-पिता या अभिभावकों को विनम्र सलाह है कि आप अपने बच्चे में जो नैसर्गिक प्रतिभा पढ़ाई, खेल या कला के क्षेत्र में है उस नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसकी काबिलियत को उभारने हेतु उचित अवसर दिलाने का सद्प्रयास करें। वहीं शिक्षकगण से निवेदन है कि आप अपने सम्पर्क में आने वाली इन प्रतिभाओं के बारे में उनके माता-पिता या अभिभावकों को अवगत कराते हुए उचित मार्गदर्शन दें एवं हो सके तो जरूरतमंद विद्यार्थी की आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता करें तथा किसी दानदाता या संस्था से मदद करवाकर प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का हर संभव प्रयास करें। माता-पिता या अभिभावकों को यह भी सलाह है कि आप दूसरे माता-पिता या अभिभावक या बच्चों से अच्छी बात की प्रेरणा जरूर लेकर उनका अनुसरण करें लेकिन केवल देखा देखी या उनकी नकल करते हुए अपने बच्चों को उतने ही प्रतिशत अंक कक्षा में लाने, खेल या कला में भी वैसा ही प्रदर्शन करने या किसी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा भी पास कर उसमें प्रवेश लेने

के लिये दबाव नहीं बनाएँ। बच्चा मेहनती है एवं घर से दूर रहकर आवासीय विद्यालय में अध्ययन का इच्छुक है तो उसे केवल प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

5. बच्चे को प्रेरित करने के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मॉडल स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल आदि आवासीय या अन्य विद्यालयों की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दें। उन विद्यालयों में अध्ययन के बाद उसका क्या भविष्य होगा ? इसके बाद वह कहाँ पर उच्च अध्ययन कर सकेगा तथा ये विद्यालय उसके वर्तमान विद्यालय से अलग कैसे है तथा उन विद्यालयों में पढ़ने से उसके व्यक्तित्व में क्या निखार आयेगा। वह 5वीं तक हिन्दी माध्यम से पढ़ने के बाद छठी कक्षा में जाते ही अंग्रेजी माध्यम से कैसे अध्ययन करेगा। नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि की क्या शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ रहेगी तथा इन स्कूल से पास आउट होकर विद्यार्थी के लिये भविष्य में क्या संभावनाएँ हैं आदि के बारे में शिक्षक, अभिभावक या माता-पिता को बालकों को सहजता व सरलता से बतानी चाहिए ताकि वह बच्चा उनसे प्रोत्साहित होकर उनमें से किसी भी विद्यालय में प्रवेश हेतु तैयारी करने लग जावे। माता-पिता या अभिभावक को बच्चों को इन परीक्षाओं को पास करने की एवज में किसी लालच (पॉकेट मनी, टेबलेट, मोबाईल, साईकिल) में डालकर भी उस पर दिन-रात मानसिक दबाव नहीं डालना चाहिए जिससे बच्चा अपेक्षानुरूप तैयारी नहीं होने या परिणाम अनुकूल नहीं रहने पर डिप्रेशन में आ सकता है या कोई अन्य कदम भी उठा सकता है इसलिए बच्चे के साथ सहज, सरल व मित्रवत रहकर उसे केवल स्वाध्याय हेतु प्रेरित करते रहें एवं ऐसा वातावरण बनाये रखे जिससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाए।
6. माता-पिता या अभिभावक यह कतई नहीं समझे कि बच्चा जिस राजकीय या निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है उस संस्था का शैक्षिक स्तर अच्छा नहीं है। हर संस्था अपना शैक्षिक स्तर उच्च रखने में कोई कमी नहीं रखती है लेकिन यदि आपकी प्रतिभा को कोई बेहतर शिक्षण संस्था में अध्ययन का अवसर मिल रहा है तो उस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के कारण गुणवत्तापूर्ण अध्ययन करवाया जा रहा है जिसका प्रमाण आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हैं इसलिए विभिन्न विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है तो अन्य विद्यालय भी वे एक बेहतर शिक्षण संस्थान हैं। वहाँ निरंतर अध्ययन करवाते रहना चाहिए।
7. राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई होती है हिन्दी माध्यम में अध्ययन अपने आप में उत्तम है लेकिन बदलते समय के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई की अहमियत बढ़ने लगी है तथा अधिकतर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की परीक्षा पद्धति एवं अध्ययन सामग्री अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए अनुकूल होने के कारण अब इसकी ओर झुकाव बढ़ रहा है। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के निजी शिक्षण संस्थान खूब हैं परन्तु राजकीय शिक्षण संस्थान नहीं थे इसलिये राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में जिला मुख्यालय स्तर पर एवं वर्ष 2020 में ब्लॉक मुख्यालय पर एक-एक राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में राजकीय महात्मा गाँधी माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) भुरु किए हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में 5 हजार की जनसंख्या वाले गाँवों में भी ये विद्यालय खोले गए हैं। इसलिये माता-पिता या अभिभावकों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलवाने की इच्छा रखने वाले माता-पिता के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के तहत संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल भी एक उत्तम शिक्षण संस्थान है जहाँ जरूरतमंद प्रतिभावान बालक बालिकाओं को प्रवेश हेतु प्रोत्साहन देकर या प्रवेश दिलाकर उनके लिये बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। शिक्षकगण या अन्य सक्षम अधिकारी, कर्मचारी या अन्य उच्चवर्गों के अभिभावक तो उच्च गुणवत्ता वाली संस्था में अपने या परिवार जन के बच्चों को प्रवेश दिलवा सकते हैं लेकिन गरीब, पिछड़े परिवारों के बच्चों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलवाने के लिये उनके शिक्षकगण अभिभावकों को इन विद्यालयों के बारे में बताए। वर्तमान में कक्षा पहली से अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएँ भुरु करने का निर्णय लिया गया है।
8. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सैनिक संचालित स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एवं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ सैन्य अकादमी की तरह अनुशासन व नियम कायदे हैं। ये विद्यालयों का संचालन होता है जिनका मुख्य उद्देश्य है, एन.डी.ए. या अन्य सैन्य अकादमियों के लिये भावी सैन्य ऑफिसर तैयार करना है। सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े माता-पिता या अभिभावक या सिविल जन भी प्रवेश परीक्षा के जरिए इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर अपने बालकों को न केवल सैन्य अफसर बल्कि देशभक्ति, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि गुणों से लबरेज श्रेष्ठ नागरिक भी बना सकते हैं।
9. नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को उच्चस्तरीय शैक्षिक वातावरण में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु भुरु की गई महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक राज्य में संचालित इन विद्यालयों में

प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश देकर कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करवाया जाता है। प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष यह परीक्षा दिलवाकर योग्य एवं विशेषतः जरूरतमंद परिवार के बालकों को वहाँ भेजे। सरकारी अधिकारी एवं सक्षम परिवार के अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि वे अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजने के बजाय गरीब-पिछड़े परिवार के आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश लेने के अवसर दें ताकि उन्हें ये अवसर मिले क्योंकि सक्षम अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों को आर्थिक रूप से वहनीय अच्छी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलवा सकते हैं लेकिन गाँव का किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ा अभिभावक ऐसा नहीं कर पायेगा। प्रवेश परीक्षा में वह बालक सक्षम परिवार के अति निर्देशित बच्चे से मुकाबला न करने के कारण पिछड़ जाता है एवं उसका चयन नहीं होता है इसलिये निवेदन है कि सक्षमजन जरूरतमंद परिवार के बच्चों को अवसर दें यदि आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के सक्षम बच्चे के बजाय उसी वर्ग का जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चा चयनित होगा तो भला उसी वर्ग के जरूरतमंद बालक एवं परिवार का ही होगा।

10. ग्रामीण, गरीब व अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, बालिकाओं, खेल प्रतिभाओं, अन्य विशेष वर्गों के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार के शिक्षा विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के अधीन अनेक आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, एकलव्य स्कूल, खेल छात्रावास, आश्रम छात्रावास आदि संचालित किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय उ.मा.वि. बालक एवं बालिका, घुमन्तु पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय, सहरिया जनजाति के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय, देवनारायण योजना के तहत संचालित आवासीय विद्यालय एवं अन्य आवासीय तथा गैर आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षकगण से निवेदन है कि आप अपने विद्यालय या अपने सम्पर्क में आने वाले विभिन्न वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को इनकी जानकारी देवें तथा जरूरतमंद प्रतिभावान विद्यार्थियों को इनमें प्रवेश दिलवाकर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देवें।
11. इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पाँचवीं कक्षा के बाद प्रतिभावान एवं जरूरतमंद बच्चों के अध्ययन हेतु अनेक संस्थाएँ संचालित की जा रही हैं। शिक्षकगण से पुनः निवेदन है कि अपने यहाँ अध्ययनरत प्रतिभाशाली, जरूरतमंद बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष मार्गदर्शन एवं अन्य सहयोग देकर प्रवेश दिलावें एवं उन्हें ऊपर उठकर शिक्षित एवं सक्षम बनने में सहयोग करें। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से प्रतिभावान विद्यार्थी परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विद्यालयी शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं। यदि उन प्रतिभाओं को अध्ययन हेतु किसी ऐसी संस्थान में प्रवेश का मौका आपकी बदौलत मिलता है तो न केवल उस विद्यार्थी का बल्कि उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा इसलिए प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रगति के अवसर हेतु प्रोत्साहित करें।

## 3.2.पाँचवीं के बाद अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थान

पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी के लिए माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रवेश लेने के लिए बेहतर विकल्प के रूप में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, विभिन्न आवासीय विद्यालय आदि का संक्षिप्त परिचय एवं प्रवेश प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है :-

### 3.2.1.जवाहर नवोदय विद्यालय

1. केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणात्मक, आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है जिसके तहत वर्तमान में देश के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
2. नवोदय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है जो कक्षा 6 से 12वीं तक प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय है जिसमें भोजन, आवास, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है। कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह 600 रुपये नवोदय विकास निधि के रूप में लिया जाता है जिसमें एससी/एसटी के विद्यार्थियों, बालिकाओं, दिव्यांग व बीपीएल परिवार के बच्चों के लिये कोई शुल्क नहीं है। विद्यार्थियों हेतु एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाइड, स्पोर्ट्स, गेम्स आदि की बेहतर सुविधा है।
3. जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा : (i) कक्षा छठी -देश के नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु के.मा.शि.बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जिला व

ब्लॉक स्तर पर अप्रैल माह में किया जाता है जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट [www.navodaya.gov.in](http://www.navodaya.gov.in) पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है (ii) कक्षा नवीं में रिक्त सीटों को भरने के लिए परीक्षा का ऑफलाइन आयोजन किया जाता है। परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में किया जाता है।

**कक्षा नवीं**—में प्रवेश के लिए NCERT के स्तर का पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा प्रारूप निम्न प्रकार है :—

विवरण	कक्षा 6			कक्षा 9		
आयु	8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच			13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच		
शैक्षिक योग्यता	छात्र/छात्रा राजकीय सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा पाँचवीं में अध्ययनरत या उत्तीर्ण हो			किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।		
परीक्षा माध्यम	हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में ऑफलाइन प्रश्न पत्र के माध्यम से आयोजित			हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में ऑफलाइन प्रश्न पत्र के माध्यम से आयोजित		
प्रवेश परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम	विशय	प्रश्न सं.	अंक	विशय	प्रश्न सं.	टंक
	मानसिक योग्यता	40	50	अंग्रेजी/हिन्दी भाषा	15+15	30
	अंक गणित	20	25	गणित	35	35
	भाषा ज्ञान	20	25	विज्ञान	35	35
समयावधि	2 घंटे			3 घंटे		

4. **कक्षा 11वीं में प्रवेश परीक्षा** : प्रत्येक नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं में रिक्त सीट के विरुद्ध उस जिले के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदनकर्ता विद्यार्थियों के 10वीं के अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेरिट बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।

5. **आरक्षण** : प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण

क्षेत्रवार आरक्षण		वर्गवार आरक्षण		श्रेणीवार आरक्षण		
ग्रामीण	शहरी	बालिका	बालक	एससी	एसटी	दिव्यांग
75%	25%	33%	67%	15%	07%	03%

6. **शिक्षक/अभिभावक के दायित्व :-**

1. प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेज मँगवाकर आवेदन पत्र भरना।
2. विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को विद्यालय से अध्ययन से विद्यार्थी के भावी जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताकर प्रोत्साहित करना।
3. पुस्तकें या अन्य खर्च वहन नहीं कर सकने योग्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वयं द्वारा राशि वहन कर परीक्षा तैयारी हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर प्रतिभाओं को निखारना।
4. आवेदन करने के बाद पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करवाना, पूर्व प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करवाकर निरंतर तैयारी करवाना व मार्गदर्शन करना।
5. प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हुये नोट्स बनवाना तथा ऑनलाइन अभ्यास या विश्वसनीय पुस्तकों से तैयारी करवाना।
6. पाठ्यक्रम के विषयवार टॉपिक का निरंतर रिवीजन करवाते रहना।

### 3.2.2. सैनिक स्कूल

जो माता पिता या अभिभावक अपने बेटे-बेटी का सेना में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं या देश सेवा का जज्बा लिए बहुमुखी व्यक्तित्व बनाने का सपना साकार करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 5वीं के बाद बालक या बालिका को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलवाने हेतु आश्रय मार्गदर्शन कर इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा का All India Sainik School Entrance Exam(AISSEE)दिलवानी चाहिए। देश भर में स्थित 33 सैनिक स्कूल की कक्षा छठी एवं नवीं में प्रवेश हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा के जरिए इन विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2020 तक सैनिक स्कूल में केवल बालकों को प्रवेश दिया जाता था लेकिन वर्ष 2020-21 से केवल कक्षा 6 से लड़कियों को प्रवेश देना आरम्भ कर दिया है। सैनिक स्कूल कक्षा 6 से 12 तक पूर्णतः आवासीय एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं जो सी.बी.एस.ई.(CBSE) से संबद्ध हैं। ये विद्यालय भौतिक व मानवीय संसाधनों से समृद्ध होने के कारण विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान हैं।

- A. **सैनिक स्कूल के उद्देश्य**

1. इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य NDA, IMA आदि रक्षा अकादमियों के लिये बेहतरीन सैनिक या ऑफिसर तैयार करना है।
2. देश की रक्षा सेवाओं के भावी सैनिकों या ऑफिसरों में नेतृत्व क्षमता व राष्ट्र प्रेम विकसित करना।

3. समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को देश के सशस्त्र बलों, सैन्य सेवाओं के अधिकारी के रूप में कैरियर बनाने हेतु सक्षम बनाना।
4. छात्रों का सर्वांगीण विकास कर देश के सम्मानित नागरिक बनाना।
5. ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ देश सेवा हेतु आगे लाना।
6. बालकों को शारीरिक और मानसिक रूप से NDA सहित रक्षा अकादमियों के लिये तैयार करना।
7. रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

## B. प्रवेश प्रक्रिया

1. **प्रवेश परीक्षा :** AISSEE (All India Sainik School Entrance Exam) सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार देश की समस्त 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश प्रक्रिया सहित उक्त समस्त स्कूलों के संचालन का कार्य करवाती है। वर्ष 2021 से परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी (N.T.A.) को दे दी गई है इसलिए परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी करेगी जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर मेरिट लिस्ट सैनिक स्कूल सोसायटी को सौपेगी। आवेदन पत्र से सम्बंधित सूचना वेबसाइट [www.sainikschooladmission.inhttps://aissee.nta.nic.in](http://www.sainikschooladmission.inhttps://aissee.nta.nic.in) पर उपलब्ध होती है।

## 2. कक्षा 6 व 9 में प्रवेश प्रक्रिया व योग्यता :

विवरण	कक्षा 6					कक्षा 9				
आयु	10 से 12 वर्ष (प्रवेश वर्ष में 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक गणना की जाती है)					13 से 15 वर्ष (प्रवेश वर्ष में 31 मार्च तक गणना की जाती है।)				
शैक्षिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण या पाँचवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होते हैं।					मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण या आठवीं कक्षा में अध्ययनरत।				
परीक्षा माध्यम	हिन्दी, अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर) आधारित होगी तथा परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे।					केवल अंग्रेजी माध्यम में ही होगी। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर) आधारित होगी तथा परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे।				
प्रवेश परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम	सैक्शन	विषय	प्रश्न सं.	प्रति प्रश्न अंक	योग अंक	सैक्शन	विषय	प्रश्न सं.	अंक	अंक योग
	A	गणित	50	3	150	A	गणित	50	4	200
	B	मानसिक योग्यता	25	2	50	B	मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता	25	2	50
	C	भाषा	25	2	50	C	अंग्रेजी	25	2	50
	D	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	25	2	50	D	सामान्य विज्ञान	25	2	50
		योग	125		300	E	सामाजिक विज्ञान	25	2	50
समयावधि	2.30 घंटे						योग	150		400
						3 घंटे				

3. **सीट :-**प्रत्येक सैनिक स्कूल के लिये अलग-2 सीटें निर्धारित हैं। राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ व झुंझुनू के लिए 100-100 सीट कक्षा 6 के लिए एवं कक्षा 9 के लिए जितनी रिक्त सीट होती हैं उनके अनुसार प्रवेश दिया जाता है।
- सीटों का आरक्षण कुल सीटों में से 15 प्रतिशत एससी, 7.5 प्रतिशत एसटी एवं 27 प्रतिशत ओबीसी (नॉन क्रिमिलियर) वर्ग हेतु आरक्षित होती हैं। कुल सीटों में से 67 प्रतिशत जिस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में सैनिक स्कूल स्थित है उस राज्य के विद्यार्थियों के लिये तथा 33 प्रतिशत सीट अन्य राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रहती हैं। दोनों वर्गों (67 व 33 प्रतिशत) में 25 प्रतिशत सीटें सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिकों के बालकों के लिए आरक्षित होती हैं। प्रत्येक सैनिक स्कूल में कक्षा 6 के लिये 10 प्रतिशत या अधिकतम 10 सीट वर्ष 2021 से लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी गई है।
4. **कट ऑफ अंक :-**सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25 प्रतिशत सहित कुल 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है जबकि एससी/एसटी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक की अहता नहीं होती है।
5. **प्रवेश प्रक्रिया :-**कक्षा छठी एवं नवीं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही होगा। मेरिट में आने के बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास होने पर अंतिम वरीयता सूची प्रवेश होगा।
6. **आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा तिथि :-**राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी द्वारा आवेदन प्रक्रिया अगस्त से अक्टूबर-नवम्बर माह के मध्य सम्पन्न होकर परीक्षा सम्भवतः अगले वर्ष के फरवरी माह में सम्पन्न होती है तथा सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अगले वर्ष

के मार्च तक सम्पन्न हो जाती है। सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट [www.nta.ac.in](http://www.nta.ac.in), [www.aissee.nta.nic.in](http://www.aissee.nta.nic.in) पर सम्पन्न की जाती है।

7. **प्रवेश परीक्षा स्थल** :—सामान्यतः जिस राज्य में सैनिक स्कूल स्थित है वहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। राजस्थान में दो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एवं झुंझुनूं जिले में स्थित है तथा तीसरा सैनिक स्कूल अलवर जिले में खोला जाना प्रस्तावित है।
8. **वार्षिक शुल्क** :—ट्यूशन फीस, मैस चार्ज, धुलाई सहित सालाना लगभग 1,40,000 रुपये का खर्चा आता है।

### 3.2.3.राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

भारत में कुल 05 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है यथा छेल (हिमाचल प्रदेश), अजमेर व धौलपुर (राजस्थान), बेलगांव (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक)। इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के उत्कृष्ट मानदण्ड के कारण इनमें प्रवेश हेतु अधिकतर अभिभावक इच्छुक रहते हैं। ये स्कूल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एवं CBSE से संबद्ध रहते हैं।

1. **प्रवेश परीक्षा** : कक्षा छठी व नवीं के लिये प्रवेश परीक्षा (RMSCET) का आयोजन किया जाता है।

विवरण	कक्षा 6				कक्षा 9				
आयु	10 से 12 वर्ष के बीच होगी। (आयु की गणना प्रवेश वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होगी।)				13 से 15 वर्ष के बीच होगी। (आयु की गणना प्रवेश वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होगी।)				
शैक्षिक योग्यता	कक्षा 6 इसके लिये केवल आयु वर्ग में आना चाहिए लेकिन कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है अर्थात् कक्षा 4 या 5 में पढ़ने वाला छात्र प्रवेश परीक्षा दे सकता है।				कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।				
प्रवेश परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम	क्रसं	विशय	अंक	अर्हता अंक	क्र सं.	पेपर	विशय	अधिकतम अंक	अर्हता अंक
	1	English	50	35%	1	I	English	100	50%
	2	Intelligence Test	50	40%			Hindi		
	3	Mathematics	50	40%			Social Science		
	4	GK & current Affairs	50	40%	2	II	Maths	100	50%
	5	Interview	20	-			Science		
					3		Interview	50	

2. **सीट आरक्षण** :

वर्ग	सीट
JCOs/OR Army, Navy, Airforce (Including Ex Serviceman)	70%
Officers of Army, Navy & Air force (Including Retired Officers) and wards of Civillians.	30%
SC categories.	15%
ST categories.	7.5%
कुल सीटों में से शहीद या शहीद परिवार के लिए आरक्षित	50 Seat

3. **आवेदन प्रक्रिया** : राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश हेतु सामान्यतः सितम्बर, अक्टूबर माह में सम्बंधित स्कूल से डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा डाक से या स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर निर्धारित शुल्क के साथ सम्बंधित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जमा करवाना होता है। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन सामान्यतः दिसम्बर माह में होता है तथा साक्षात्कार का आयोजन सम्बंधित या आवंटित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होता है।
4. **परीक्षा पद्धति** : बहुविकल्पीय ऑफलाईन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा 6 एवं रिक्त सीटों के विरुद्ध कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है।
5. **मेडिकल टेस्ट** : विद्यार्थी द्वारा मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
6. **अंतिम चयन** : लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी कर अंतिम चयन किया जाता है।

### 3.2.4.राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कॉलेज (Rastriy Indian Military Collage-RIMC)

1. **परिचय** : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून (उत्तराखण्ड) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य NDA एवं अन्य सैन्य अकादमियों के लिए सक्षम कैडेट तैयार करना है।
2. **प्रवेश प्रक्रिया** : राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में प्रवेश प्रक्रिया के तहत कक्षा 8वीं में केवल बालकों को वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर प्रवेश दिया जाता है।

3. **आवेदन प्रक्रिया :** इच्छुक अभ्यर्थी RIMC की वेबसाइट [www.rimc.gov.in](http://www.rimc.gov.in), पर ऑनलाईन भुगतान करके या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा आवेदन पत्र, विवरणिका व पुराने प्रश्न पत्र सैट प्राप्त कर सकते हैं जो RIMC स्पीड पोस्ट से आपको भेजेगी या RIMC देहरादून से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को अपना आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उस राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में जमा करवाना होता है। जहाँ पर अभिभावक या माता-पिता स्थाई रूप से रहते हैं।

4. **प्रवेश योग्यताएँ :**

विवरण	कक्षा 8				
आयु	बालक साढ़े ग्यारह वर्ष से कम एवं तेरह वर्ष से अधिक आयु का प्रवेश परीक्षा वर्ष के अगले वर्ष की 01 जुलाई का नहीं होना चाहिए।				
शैक्षिक योग्यता	प्रवेश परीक्षा प्रविष्ट होने के दौरान बालक मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 7वीं में अध्ययनरत या उत्तीर्ण हो				
परीक्षा का माध्यम	हिन्दी और अंग्रेजी				
प्रवेश परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम	क्रसं.	विषय	अंक	न्यूनतम अंक	समय
	1	English	125	50 प्रतिशत अंक	2 घंटा
	2	Mathematics	200	50 प्रतिशत अंक	1.30 घंटा
	3	GK & current Affairs	75	50 प्रतिशत अंक	1 घंटा
	4	Interview	50	-	-
<b>योग</b>			<b>450</b>		

5. **शुल्क :** चयनित विद्यार्थियों की वार्षिक शुल्क 42,400 रुपये के लगभग है जिसमें से बालक के गृह राज्य से सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा 10,000 से 40,000 रुपये तक छात्रवृत्ति देय है।
6. **परीक्षा केन्द्र :** परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक राज्य की राजधानी में आयोजित की जाती है।
7. **परीक्षा की रूपरेखा :** RIMC में प्रवेश हेतु वर्ष में दो बार राज्य सरकार द्वारा मई एवं सितम्बर माह में आवेदन पत्र लिए जाकर जून एवं दिसम्बर में परीक्षा का आयोजन RIMC किया जाता है तथा वर्ष में दो बार ही सत्र जनवरी व जुलाई माह में भुरु होता है।
8. **मेडिकल परीक्षण :** साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों का देश के निर्दिष्ट सैन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ पाया जाना जरूरी है। आँख की दृष्टि, कान, सहित सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है।
9. **अंतिम चयन :** RIMC द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में उत्तीर्ण पाए गये अभ्यर्थियों की लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के आधार पर ऑल इण्डिया मेरिट जारी की जाकर प्रवेश हेतु आमंत्रित किया जाता है।

**प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु बिन्दु :-**

- कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC आदि कक्षा 6 एवं 9वीं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है।
- इन विद्यालयों की कक्षा छठी एवं नवीं की प्रवेश परीक्षाओं में मानसिक योग्यता, गणित, भाषाएँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी), विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि RMS, RIM में सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार सभी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पैटर्न एवं पाठ्यक्रम में समानता है।
- तैयारी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के शिक्षक या अभिभावक को इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित परीक्षा पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर पाठ्यक्रम के विषयवार बिन्दुओं को समझाना चाहिए जिससे विद्यार्थी को पाठ्यक्रम समझ में आने के बाद वह विद्यालय में अध्ययन के दौरान भी उन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकेगा।
- इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रविष्ट होने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी कक्षा (5वीं से 8वीं जो भी हो) के एन.सी. ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम भी इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम से मिलता जुलता है इसलिए परीक्षा तैयारी हेतु अपने आधारिक ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों से तैयारी की शुरुआत करना सही कदम होगा। इसके बाद बाजार में उपलब्ध सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करने वाली त्रुटिरहित, पूर्व वर्षों के व मॉडल प्रश्न पत्र युक्त पुस्तक खरीदकर उससे तैयारी करनी चाहिए।



5. शिक्षक या अभिभावक को चाहिए कि वह पूर्व प्रवेश परीक्षा के 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र एवं मॉडल टेस्ट पेपर भी विद्यार्थी से हल करवाए जिससे विद्यार्थी को परीक्षा पद्धति, प्रश्न पत्र प्रारूप एवं प्रश्नों की प्रकृति आदि के बारे में जानकारी होगी तथा प्रश्न पत्र हल करने के अभ्यास से उसके मनोबल में वृद्धि होगी।

### 3.3. राज्य सरकार के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं छात्रावास

#### 3.3.1 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

##### 3.3.1.1. महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलकर 33 विद्यालयों से भुरु की गई योजना के सकारात्मक परिणाम व प्रतिक्रिया के चलते योजना का विस्तार करते हुए अब तक जिला मुख्यालयों के अलावा पिछड़े ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदलते हुये 203 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुरु किये जा चुके हैं। वर्ष 2021-22 से जिन गाँवों की जनसंख्या 5 हजार से अधिक है उन गाँवों में भी 250 विद्यालय खोले जा रहें हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षार्जन का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

##### प्रवेश प्रक्रिया :

1. इन विद्यालयों में पूर्व में चल रहें विद्यालयों में कक्षा प्रथम में सभी नवीन प्रवेश तथा कक्षा दूसरी से दसवीं तक में रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 11वीं व 12वीं में उक्त कक्षाओं के ही विद्यार्थी क्रमोन्नत होकर प्रविष्ट होते हैं।
2. नए खुलने वाले विद्यालयों की समस्त कक्षाओं में नए सिरे से प्रवेश दिये जाएंगे।
3. आवेदन प्रक्रिया— विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु शिक्षा विभाग की वेबसाइट [www.education.rajasthan.gov.in](http://www.education.rajasthan.gov.in), पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सामान्यतः यह प्रक्रिया मार्च, अप्रैल माह में सम्पन्न होती है।
4. चयन : विद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश हेतु रिक्त सीट से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश योग्य विद्यार्थियों का चयन लॉटरी से किया जाएगा।
5. ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को अंग्रेजी के प्रति अकारण भय को दूर करते हुए ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना चाहिए।

##### 3.3.1.2. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल

भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी पंचायत समितियों में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं इसे गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये केन्द्रीय विद्यालयों के पैटर्न के अनुरूप स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित किये गये हैं। इन विद्यालयों के मानक केन्द्रीय विद्यालय के समान हैं जिसमें आदर्श छात्र-शिक्षक अनुपात, आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, सृजनात्मक शैक्षणिक वातावरण, उपयुक्त पाठ्य चर्चा के सम्बंध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

##### 1. विद्यालयों की विशेषताएँ

1. विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण सहशिक्षा की उत्तम व्यवस्था है।
2. मॉडल स्कूल में NCERT का पाठ्यक्रम लागू है एवं CBSE दिल्ली से संबद्धता है।
3. इनमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षण किया जाता है एवं English Speaking Skill विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है।
4. प्रति कक्षा शिक्षक-छात्र का आदर्श अनुपात 1:25 होना अपेक्षित है लेकिन किसी भी परिस्थिति में 1:40 से अधिक नहीं होगा।
5. विद्यालयों में विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु खेल एवं सहशैक्षिक गतिविधियाँ यथा स्काउट गाईड, मनोरंजन के साधन, खेल मैदान, R.O.T.I.C. LAB, स्तरीय पुस्तकों युक्त पुस्तकालय, विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिये विशेष शिक्षण व्यवस्था, क्षेत्रीय भ्रमण एवं शैक्षणिक दौरे, आईटी संसाधन, इंटरनेट सुविधा, पूर्णकालिक कम्प्यूटर टीचर, कला एवं संगीत शिक्षक की भी व्यवस्था होगी।

##### 1. प्रवेश प्रक्रिया :

1. इन विद्यालयों में प्रवेश सामान्यतः ऑफलाईन आवेदन पत्र के माध्यम से पिछली कक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर दिया जाता है सामान्यतयः प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल माह में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होती है।



2. आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को निम्नानुसार वरीयता से प्रवेश दिया जाता है :-
  - i. विधवा, परित्यक्ता एवं एड्स पीड़ित अभिभावक के बालक एवं बालिका।
  - ii. दिव्यांग बालक एवं बालिका।
  - iii. बी.पी.एल. परिवार के बालक एवं बालिका (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक)।
  - iv. सामान्य वर्ग में बी.पी.एल. परिवार के बालक एवं बालिका
  - v. नॉन बी.पी.एल. परिवार के (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक) बालक या बालिका।
  - vi. सामान्य वर्ग के बालक या बालिका।
3. आयु-कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयु सीमा 10 से 12 वर्ष निर्धारित है।
4. सत्र 2020-21 से नर्सरी से कक्षाएँ भुरु करने की अनुमति मिलने से इन विद्यालयों में अब नर्सरी से 12वीं तक अध्ययन करवाया जाएगा।
5. सीटों में कोटा : इन विषयों में जिला कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों का कोटा भी निर्धारित है।
6. अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं को छात्रवृत्ति की सुविधा है।

**शिक्षकों का दायित्व :** आप अपने विद्यालयों की जरूरतमंद प्रतिभा को मॉडल स्कूल या महात्मा गाँधी (अंग्रेजी माध्यम) जैसे विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु उनके माता पिता या अभिभावक को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें ताकि ऐसे विद्यार्थी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से समृद्ध विद्यालयों में प्रवेश ले सकें यद्यपि ऐसे विद्यालयों में नवोदय की तरह आवासीय सुविधा नहीं है लेकिन सम्बंधित ब्लॉक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास या अन्य छात्रावास में प्रवेश दिलाकर मॉडल स्कूल या महात्मा गाँधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा सकता है। आजकल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी उत्तम शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध है लेकिन उल्लेखित विद्यालय बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

### **3.3.आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास**

राज्य सरकार के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा कई आवासीय विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास संचालित किए जा रहें हैं, जिनमें आवश्यकता वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की नि: शुल्क शिक्षा दी जा रही है परन्तु समुचित प्रचार-प्रसार एवं जानकारी के अभाव में वृहद् स्तर पर इन संस्थाओं का लाभ बहुत से जरूरतमंद विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। इन संस्थाओं का विभागवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

#### **(क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

इस विभाग द्वारा राज्य में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 24 आवासीय विद्यालय तथा 800 से अधिक छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विभाग के अधीन राजस्थान रेजिडेंसियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी द्वारा संचालित 26 आवासीय विद्यालय का उद्देश्य राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं, निश्क्रमणीय पशुपालक एवं भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवान्छित गतिविधि में लिप्त परिवार के बच्चों को कक्षा 6 से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाकर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना है।

**आवासीय विद्यालयों का श्रेणीवार विवरण :** इस विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में संचालित आवासीय विद्यालयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

#### **3.3.2.1.गैर जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय**

राजस्थान के विभिन्न जिलों में निम्नानुसार आवासीय विद्यालय संचालित है।

क्र.सं.	उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय का नाम	स्वीकृत क्षमता
1.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय मण्डोर जोधपुर।	560
2.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय केनपुरा पाली।	560
3.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय बगडी दौसा।	560

4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय आटूण भीलवाड़ा।	560
5.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय भैसवाड़ा जिला जालौर	560
6.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय हींगी कोटा	560
7.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय पावटा नागौर।	560
8.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय छाण जिला सवाईमाधोपुर।	560
9.	राजकीय आवासीय विद्यालय वजीरपुर (टोंक)	252
10.	राजकीय आवासीय विद्यालय अटरू जिला बारां।	252
11.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय जैसीन्दर बाडमेर।	प्रवेश प्रस्तावित
12.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय जैसीन्दर बाडमेर।	प्रवेश प्रस्तावित

**प्रवेश हेतु कोटा :-** अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित (डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय) विद्यालय हेतु-

SC-60%,	ST-15%,	OBC/MBC-15%,	EWS-10%
---------	---------	--------------	---------

### 3.3.2.2. जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय

ये विद्यालय राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं।

(क) डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय खोड़न (बासंवाड़ा)

(ख) डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय खेड़ा आसपुर (डूंगरपुर)

**प्रवेश हेतु कोटा :-** अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित आवासीय विद्यालय हेतु

SC-15%,	ST-60%,	OBC/MBC-15%,	EWS-10%
---------	---------	--------------	---------

### 3.3.2.3. निश्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय

इनमें निश्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाकर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ऐसे अभिभावक जो पशुपालन से जुड़े हैं तथा पशुपालन के कारण स्थाई रूप से एक जगह रहकर अपने बालकों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं उनके लिए सरकार ने ये आवासीय विद्यालय खोले हैं। ये विद्यालय निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	स्वीकृत क्षमता
1	राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय हरियाली जिला जालौर,	440
2	राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय धनवाड़ा, झालावाड़	440
3	राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय सागवाड़ा बांसवाड़ा	280
4	राजकीय उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय जेतपुरी धाम, सिणधरी (बाडमेर)	प्रवेश प्रस्तावित है

**प्रवेश प्रक्रिया :**

- इन विद्यालयों में कक्षा छठी से 12वीं तक प्रवेश प्रतिवर्ष अप्रैल से जून माह के बीच तक सम्पन्न होता है। कक्षा 6 में 30 सीट तथा कक्षा 7 से 12 तक रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश हेतु आवेदन सा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट [www.sima.rajasthan.gov.in](http://www.sima.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन भरे जाते हैं।
- प्रवेश कोटा :- 100%, सीटें निश्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आरक्षित हैं।

**प्रवेश योग्यता :**

- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी देवासी, रायका या निश्क्रमणीय पशुपालक जाति का होना चाहिए।
- रा.उ.मा. विद्यालय हरियाली में 50 प्रतिशत सीट गृह जिले हेतु एवं 50 प्रतिशत सीटें राज्य के अन्य जिलों के लिए आरक्षित हैं।
- कक्षा 11वीं में कला एवं विज्ञान दोनों संकाय में प्रवेश दिया जाता है।
- छात्रावास में प्रवेश वरीयता के आधार पर देकर वरीयता सूचियाँ जारी की जाएगी। वरीयता सूची पूर्व कक्षा के अंकों की मेरिट आधार पर तैयार की जाएगी।

**प्रवेश हेतु शर्तें :**

1. आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख से कम होनी चाहिए।
2. बी.पी.एल. परिवार के आवेदक को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी।

**3.3.2.4. भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय**  
(राज्य सरकार द्वारा ऐसी श्रेणी के परिवारों के बच्चों के लिये कक्षा 12वीं तक आवासीय विद्यालय मंडाना जिला कोटा में संचालित किया जा रहा है)

1. प्रवेश हेतु कोटा : भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय में 100% सीट आरक्षित है।

### 3.3.2.5. देवनारायण आवासीय विद्यालय— 08 विद्यालय

1. तेली खेड़ा, सुवाना (भीलवाड़ा)
2. चाण्डपुरा (जालोर)
3. युसुफ पुरा (टोंक)
4. बालेटा (अलवर)
5. हिन्डौली (बून्दी)
6. देवलेन (करौली)
7. केकड़ी (अजमेर)
8. मसून्दपुरा (सवाई माधोपुर)

**प्रवेश हेतु कोटा :-** अति पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में स्थापित देवनारायण आवासीय विद्यालय हेतु—

SC-10%	ST-10%	OBC-10%	MBC-60%	EWS-10%
--------	--------	---------	---------	---------

**आवासीय विद्यालय में सुविधाएँ :-**आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

### 3.3.2.6. विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता एवं प्रवेश प्रक्रिया : -

**1 पात्रता :-** सभी श्रेणी के विद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न पात्रता निर्धारित है—

1. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. एक विद्यार्थी अधिकतम तीन आवासीय विद्यालयों के लिये ऑनलाइन एक ही आवेदन पत्र में भर सकता है।
3. छात्रावास में प्रवेश वरीयता के आधार पर देकर वरीयता सूचियाँ भी जारी की जाएगी। वरीयता सूची पूर्व कक्षा के अंकों की मेरिट आधार पर तैयार की जाएगी।
4. राजस्थान के निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. परिवार के बालक-बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर अल्प आय वर्ग (8 लाख तक) की आय वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
5. विद्यालय में प्रवेश हेतु वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा—
  - i. पूर्व में अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा।
  - ii. अनाथ छात्र एवं छात्रा।
  - iii. विधवा एवं परित्यक्ता स्वयं।
  - iv. विशेष योग्यजन स्वयं।
  - v. विधवा एवं परित्यक्ता के पुत्र एवं पुत्री।
  - vi. विशेष योग्यजन के पुत्र एवं पुत्री।
  - vii. बीपीएल परिवार की छात्र एवं छात्राएँ।
  - viii. 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय सीमा के परिवार की छात्र एवं छात्राएँ।

**3.3.2.7. प्रवेश प्रक्रिया :-**इन विद्यालयों में राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा छठी से 12वीं तक प्रवेश प्रतिवर्ष अप्रैल से जून तक सम्पन्न होता है। सामान्यतः कक्षा 6 में 80 सीट तथा कक्षा 7 से 12 तक रिक्त सीट पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश हेतु आवेदन सा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट [www.sjms.rajasthan.gov.in](http://www.sjms.rajasthan.gov.in), [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in), [www.sima.rajasthan.gov.in](http://www.sima.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन भरे जाते हैं।

**शिक्षकगण का कर्तव्य :** सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपने आस पास के प्रतिभावान परन्तु पिछड़े एवं जरूरतमंद परिवार से सम्बंध रखने वाले विद्यार्थियों को ऐसे विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर उन प्रतिभाओं एवं उनके माता-पिता एवं अभिभावकों के लिये मार्गदर्शक की भूमिका निभाएँ ताकि आपके इस कदम एवं मार्गदर्शन से उस विद्यार्थी एवं उस परिवार का भविष्य सुनहरा बन सकेगा।

### 3.3.3.1. शिक्षा विभाग के अधीन आवासीय विद्यालय

#### 1. कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय

1. उद्देश्य : विश्व परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। राजस्थान में 200 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संचालित है।

2. **प्रवेश हेतु पात्रता** : 75% सीट SC/ST/OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएँ। 25% सीट बी.पी.एल परिवार की बालिकाओं को एवं दिव्यांग बालिकाओं को प्राथमिकता।
3. **सुविधाएँ** : निःशुल्क आवास, भोजन, पठन-पाठन शैक्षणिक सामग्री, गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, खेलकूद सामग्री, पुस्तकालय, व्यवसायिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जाँच एवं दवाई की सुविधा, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि।

### 3.3.3.2. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के जरिए अनुसूचित क्षेत्र माडा (MADA) एवं सहरिया क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु कई आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।

1. **आश्रम छात्रावास** : जनजाति छात्र-छात्राओं को उनके निवास स्थान के नजदीक उत्तम शिक्षण व्यवस्था न होने पर विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र माडा (MADA) एवं सहरिया क्षेत्र में 356 आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जिनमें निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन जिलों में बालिका छात्रावास नहीं हैं वहाँ ऐसे छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है जैसे बाड़मेर।
2. **आवासीय विद्यालय** : अनुसूचित क्षेत्र माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए 13 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों के जरूरतमंद प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षार्जन का लाभ मिल सके।
3. **मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल** : अनुसूचित क्षेत्र में दीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला डूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है।
4. **एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल पब्लिक स्कूल** : अनुसूचित क्षेत्र में 10, माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 01 विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
5. **खेल छात्रावास एवं खेल अकादमी** : अनुसूचित क्षेत्र में जन जाति छात्रों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 6 खेल अकादमी एवं 6 खेल छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जिनकी क्षमता 875 खिलाड़ी है।
6. **प्रवेश पात्रता** : छात्रावास एवं अकादमी में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12वीं तक के जनजाति खिलाड़ी (बालक-बालिका) को प्रमाण पत्र या प्रवेश परीक्षा व कौशल परीक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित खिलाड़ी की निकटतम विद्यालय में अध्ययन की सुविधा होती है। खिलाड़ी को प्रशिक्षण के साथ भोजन, आवास, विद्यालय पौशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क दी जाती है।